

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रांक ३४१४ /१४-१ मैनपुरी :दिनांक:जून ०२, २०२३

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
साउथ ईस्ट, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन
कम्पनी लि०, गोमती नगर लखनऊ ।

विषय:-

साउथ ईस्ट य०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि० द्वारा ७६५ के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी – उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित १.५३६४ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व २३८ वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित ०.३२ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व ८ वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित ०.८१५५ हे० संरक्षित एवं १.१३९१ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व ११३ वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित ०.७०६९ हे० संरक्षित एवं ६.२७९० हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व ४०५८ वृक्षों के पातन अर्थात् ३.३७८८ हे० संरक्षित एवं ७.४१८१ हे० आरक्षित वनभूमि कुल १०.७९६९ हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ४४१७ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पं० ३४५९/११-सी

FP/UP/Trans/21539/2016 दिनांक ०२-५-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर आपत्तियाँ लगायी गई हैं (प्रति संलग्न)। जिसमें कई विन्दुओं का निस्तारण आख्या / सम्बन्धित अभिलेख आपके द्वारा प्रेषित किये जाने हैं। अतः आप अतिशीघ्र आपत्ति का निस्तारण कर आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे प्रभाग स्तर से निस्तारण एवं आपके द्वारा किये गये निस्तारण की आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(मूल में प्रस्ताव की ०२ प्रति एवं ०२ पेनड्राइव)

भवदीय
(एस०एन०मार्य०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

Received
JAP